आवंटन
अनुदान सं0—14
तेरह अंको का कोड—2515001010300

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण—वितरण अधिकारी,
फर्रूखाबाद, ,गोरखपुर, प्रतापगढ़, गाजियाबाद, मऊ तथा गौतमबुद्धनगर।

संख्या—1/507/2019—1/02/2019 : लखनऊः दिनांक 09 जनवरी, 2020

विषयः— चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 में अनुदान संख्या—14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम —101—पंचायती राज—03—जिला पंचायत प्रशासन की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0—13/2019/793/33—3—2019—100(3)/2017 दिनांक 08.04.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019—20 में अनुदान संख्या—14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि से अपर मुख्य सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0—5/2019/वे0आ0—2—245/दस—2019—04(एम)/2016 दिनांक 03.06.2019 के अन्तर्गत मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार **रू0—7,17,235/—(रू0 सात लाख सत्रह हजार दो सौ पैंतीस मात्र)** धनराशि निम्नलिखित शतों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती हैः—

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ—साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ—साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर—12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2019/बी—1—170/दस—2019—231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0—4/2018/आर0जी0—1021/दस/2018—मित0—1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. .इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019—20 के अनुदान संख्या—14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—101—पंचायती राज—03—जिला पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
9. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।
10. बी0एम0—4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

11.यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

12.यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

13.एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

14.यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य–लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो।

15.संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें–

1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2019–20 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 20.02.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–03 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/507/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-09/01/2020

प्रेषण संख्या:- 1-507-2019-01-02-2019
आवंटन आदेश संख्या:- 008-1-02-2019
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
03 - जिला पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	.	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	49-चिकित्सा व्यय	55-मकान किराया भत्ता	56-नगर प्रतिकर भत्ता	योग
1	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 3885200	0 466204	0 0	72718 168080	0 191018	0 22374	72718 4732876
2	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 4089900	0 490060	0 0	9149 276940	0 381900	0 29560	9149 5268360
3	प्रतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 3280280	0 393181	0 0	18966 18966	0 155380	0 17040	18966 3864847
4	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 4223460	0 522906	0 0	167144 167144	0 158994	0 18623	167144 5091127
5	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	344400 2988098	45633 463335	0 0	0 0	17920 139460	1600 15072	409553 3605965
6	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 2320650	0 297870	39705 39705	0 21524	0 107720	0 33840	39705 2821309
	योग	वर्तमान प्रगामी	344400 20787588	45633 2633556	39705 39705	267977 652654	17920 1134472	1600 136509	717235 25384484

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात लाख सत्रह हजार दो सौ पैंतीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ तिरेपन लाख चौरासी हजार चार सौ चौरासी

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी